

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर..... मुकाम.....

..... हनुमानराम वगैराह..... बनाम..... पुराराम वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्व वाद, अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.ए.

नं. 126 सन 2017

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>वादी हनुमानराम वगैराह की ओर से वकील श्री चोलाराम चौधरी द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वाद पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। <p style="text-align: right;">15/09/17</p> <p><u>सहायक कलक्टर</u> (SDO) बाड़मेर</p>	
18/09/17	<p>वादी हनुमानराम वगैराह की ओर से वकील श्री चोलाराम चौधरी द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी पुराराम वगैराह के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 18/09/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर</p>	
18-10-17	<p>पत्रावली पेश हुई वादी के वकील उपस्थित प्रतिवादी पत्र के लम्बे तलबों का डाक नॉटिस भी लम्बे गत है</p> <p>डा. प्रदीप कुमार 29.12.17 को पेश करें।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

16.11.17

करीब नाडीगण के ठेकेदार पर यह
 पञ्जाबली आज फेरा हुई। काडीगण उप
 काडीगण मय करील उपासीत होकर
 एक ठेकेदार इस आशय का
 प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य
 आरसी राजीनामा ले लहमाने जन
 गरी है तथा इस बाद को आगे
 चलाना नही चाहते है लिहाजा
 चादी का बाद जारी दिना जारीज
 फरमाई।

16/11/17
 मा. मा. रा. म.
 बा. बा. रा. म.

अब प्रस्तुत ठेकेदार के मद्देनजर
 पक्षकारान के मध्य राजीनामा लेने
 ले बाद को आगे चलाना नही चाहते
 अब काडीगण का बाद जारी दिना
 जारीज किया जाता है।

पञ्जाबली कुमार फेरल होकर
 दायिल दफ्तर ही।

सहायक कलक्टर
 (SDO) बा. बा. रा. म.